बिहार सरकार

Mines and Geology Department

District- Gaya

हिन्दुस्तान
दि. 09.01.20
पृ. 08

SHORT NOTICE/CORRIGEDUM

(Through E- Procurement mode over
https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

Bihar State Sand Policy, 2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण), 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत गया जिलान्तर्गत फल्गु/मोरहर नदी के बालूघाटों की बंदोबस्ती की कार्रवाई, पंचांग वर्ष 2020 से पाँच वर्षो की अवधि के लिए, करने हेतु, उक्त नदियों के 40 बालूघाटों की बंदोबस्ती कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था, जिसका **PR No-011124(Mines)2019-20** है। उक्त नदियों के शेष बचे 24 बालूघाटों के लिए एकल/शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा का अवधि विस्तार करते हुए ई–नीलामी द्वारा बंदोबस्ती हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो/कम्पनियें से पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जाती है। 24 बालूघाटों की ई–नीलामी द्वारा बंदोबस्ती हेतु पूर्व में प्रकाशित बंदोबस्ती कार्यक्रम में संशोधन करते हुए पुनः नीलामी के लिए निविदा का अवधि–विस्तार निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. ई–नीलामी कार्यक्रम:–

क्र० सं०	जिला (बालूखंड)	नीलामी दस्तावेज बिक्री शुल्क जमाकर निविदा दस्तावेज डाउलोड प्रारंभ करने की तिथि	अग्रधन राशि एवं ऑक्सन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	नीलामी हेतु अग्रधन राशि ऑफलाईन मोड की स्थिति (बैंक ड्राफ्ट में) उसकी मूल कागजात जिला खनन कार्यालय, गया में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी दस्तावेज की जाँच/मूल्यांकन कर सफल निविदादाताओं की सूची System में समाहर्त्ता, गया द्वारा Upload करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	ई–नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय
1	गया फल्गु तथा मोरहर नदी (बालूखंड क्रमांक 02 से 05 तक, 07,08,16, 21,22,23, 25 से 30 तक, 33 से 40 तक)	10.01.20 को पूर्वाहन 11:00 बजे से	17.01.20 को अपराह्न 5:00 बजे तक	17.01.20 को अपराह्न 5:00 बजे तक	27.01.20	29.01.20 समय 10:30 बजे पूर्वाहन से	29.01.20 समय 01:00 बजे अपराहन तक

2. बालूखंडों की विस्तृत विवरणी जिला के वेबसाईट https://www.gaya.bih.nic.in पर उपलब्ध है। **3.** बालूघाटों की बंदोबस्ती ई–नीलामी प्रक्रिया ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/ BELTRON) द्वारा की जायेगी। **4.** ई–नीलामी द्वारा कराई जा रही बंदोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों/कंपनी/फार्म को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा। **5.** एतद् संबंधी समस्त सूचना(यथा–नीलामी कार्यक्रम, सुरक्षित जमा राशि, अग्रधन राशि, नीलामी प्रोसेसिंग शुल्क इत्यादि) विस्तृत रूप से जिला के बेवसाईट, विभागीय बेवसाईट www.mines.bih.nic.in एवं ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in / BELTRON) पर उपलब्ध है। **6.** एतद् संबंधी समस्त सूचना हेतु ई–टेंडरिंग/ई–प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं0–एम/22, रोड नं–25, श्रीकृष्णानगर, पटना–800001 दूरभाष संख्या 0612–2523006, 7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।

समाहर्त्ता, गया

PR No. 013438(District)2019-20

माता आएँ, बहनें आएँ, भैया आएँ, भाभी आएँ। बच्चे आएँ, बूढ़े आएँ, सब मिलकर श्रृंखला बनाएँ।

Mines and Geology Department
Government of Bihar
District- Gaya

SHORT NOTICE/CORRIGEDUM

(Through E- Procurement mode over https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

Bihar State Sand Policy, 2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण), 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत गया जिलान्तर्गत फल्गु/मोरहर नदी के बालूघाटों की बंदोबस्ती की कार्रवाई, पंचांग वर्ष 2020 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए, करने हेतु, उक्त नदियों के 40 बालूघाटों की बंदोबस्ती कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था, जिसका PR No-011124(Mines)2019-20 है। उक्त नदियों के शेष बचे 24 बालूघाटों के लिए एकल/शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा का अवधि विस्तार करते हुए ई–नीलामी द्वारा बंदोबस्ती हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो/कम्पनियें से पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जाती है। 24 बालूघाटों की ई–नीलामी द्वारा बंदोबस्ती हेतु पूर्व में प्रकाशित बंदोबस्ती कार्यक्रम में संशोधन करते हुए पुनः नीलामी के लिए निविदा का अवधि–विस्तार निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. ई–नीलामी कार्यक्रम:–

क्र० सं०	जिला (बालूखंड)	नीलामी दस्तावेज बिक्री शुल्क जमाकर निविदा दस्तावेज डाउलोड प्रारंभ करने की तिथि	अग्रधन राशि एवं ऑक्सन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड़ करने की अंतिम तिथि एवं समय	नीलामी हेतु अग्रधन राशि ऑफलाईन मोड की स्थिति (बैंक ड्राफ्ट में) उसकी मूल कागजात जिला खनन कार्यालय, गया में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी दस्तावेज की जाँच/मूल्यांकन कर सफल निविदादाताओं की सूची System में समाहर्त्ता, गया द्वारा Upload करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	ई–नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय
1	गया फल्गु तथा मोरहर नदी (बालूखंड क्रमांक 02 से 05 तक, 07,08,16, 21,22,23, 25 से 30 तक, 33 से 40 तक)	10.01.20 को पूर्वाहन 11:00 बजे से	17.01.20 को अपराह्न 5:00 बजे तक	17.01.20 को अपराह्न 5:00 बजे तक	27.01.20	29.01.20 समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से	29.01.20 समय 01:00 बजे अपराह्न तक

2. बालूखंडों की विस्तृत विवरणी जिला के वेबसाईट https://www.gaya.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
3. बालूघाटों की बंदोबस्ती ई–नीलामी प्रक्रिया ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) द्वारा की जायेगी।
4. ई–नीलामी द्वारा कराई जा रही बंदोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों/कंपनी/फार्म को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
5. एतद् संबंधी समस्त सूचना(यथा–नीलामी कार्यक्रम, सुरक्षित जमा राशि, अग्रधन राशि, नीलामी प्रोसेसिंग शुल्क इत्यादि) विस्तृत रूप से जिला के बेवसाईट, विभागीय बेवसाईट www.mines.bih.nic.in एवं ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) पर उपलब्ध है।
6. एतद् संबंधी समस्त सूचना हेतु ई–टेंडरिंग/ई–प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं०–एम/22, रोड नां–25, श्रीकृष्णानगर, पटना–800001 दूरभाष संख्या 0612–2523006, 7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।

समाहर्त्ता,
गया।

जिला खनन कार्यालय, गया

Sl. No.	RIVER	SAND BLOCK NO	Mauza	Thana	Thana No/Plot No	AREA (HA.)	CO-ORDINATE		Minimum Reserve amount
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	FALGU	02	Panchrukhai	Khizarsarai	77/01	62.6	A	24°58'14.04"N 85° 4'28.72"E	Rs 10505992
							B	24°58'6.80"N 85° 4'38.46"E	
							C	24°57'51.55"N 85° 4'27.03"E	
							D	24°57'28.91"N 85° 3'59.22"E	
							E	24°57'34.89"N 85° 3'47.99"E	
							F	24°57'37.17"N 85° 3'51.75"E	
2	FALGU	03	Fatehpur	Khizarsarai	402/ 2101	99.0	A	24°57'34.89"N 85° 3'47.99"E	Rs 16614907
							B	24°57'28.91"N 85° 3'59.22"E	
							C	24°56'43.86"N 85° 3'37.02"E	
							D	24°56'21.44"N 85° 3'33.17"E	
							E	24°56'26.45"N 85° 3'10.24"E	
3	FALGU	04	Degoan	Khizarsarai	78/ 4135	99.0	A	24°56'26.45"N 85° 3'10.24"E	Rs 16614907
			Sunderpur		405/		B	24°56'21.44"N 85° 3'33.17"E	
			Belbigha		433/ 2377		C	24°55'40.35"N 85° 2'54.79"E	
							D	24°55'51.50"N 85° 2'33.48"E	

1	2	3	4	5	6	7	8		9
4	FALGU	05	Pachalakh	Khizarsarai	98/ 4416	99.0	A	24°55'51.50"N 85° 2'33.48"E	Rs 16614907
							B	24°55'40.35"N 85° 2'54.79"E	
							C	24°54'56.61"N 85° 2'31.62"E	
							D	24°55'2.48"N 85° 2'11.79"E	
5	FALGU	07	Tineri	Chandauti	231/ 2246	99.0	A	24°53'47.98"N 85° 2'0.78"E	Rs 16614907
							B	24°53'47.58"N 85° 2'14.50"E	
							C	24°53'4.67"N 85° 2'13.50"E	
							D	24°52'17.16"N 85° 1'59.27"E	
							E	24°52'21.78"N 85° 1'48.21"E	
							F	24°53'12.29"N 85° 2'1.17"E	
6	FALGU	08	Kukiyasin	Buniyaganj	238/ 01,02	99.0	A	24°52'21.78"N 85° 1'48.21"E	Rs 16614907
							B	24°52'17.16"N 85° 1'59.27"E	
							C	24°51'56.70"N 85° 1'49.04"E	
							D	24°51'41.94"N 85° 1'38.32"E	
							E	24°51'11.01"N 85° 1'10.79"E	
							F	24°51'1.40"N 85° 1'9.84"E	
							G	24°50'51.63"N 85° 1'16.20"E	
							H	24°50'52.59"N 85° 0'57.20"E	
							I	24°51'25.26"N 85° 1'8.01"E	
							J	24°51'48.20"N 85° 1'30.06"E	

1	2	3	4	5	6	7	8		9
7	Morhar	16	Chitab kala	Sherghati	754/ 01	60.5	A	24°36'47.87"N 84°48'51.18"E	Rs 10153554
							B	24°36'58.22"N 84°48'59.47"E	
							C	24°36'10.53"N 84°48'56.55"E	
							D	24°36'17.58"N 84°48'53.43"E	
8	Morhar	21	sonbarsha	Pariya	........./ 99	99	A	24°51'9.09"N 84°51'56.15"E	Rs 7496113
			manjhar				B	24°51'4.90"N 84°52'1.44"E	
			Dakhner				C	24°48'53.21"N 84°51'51.63"E	
							D	24°48'53.69"N 84°51'43.79"E	
Dakhner bridge + Railway bridge 1.073 KM									
9	Morhar	22	Sugarish	Pariya		62.7	A	24°48'17.90"N 84°51'32.60"E	Rs 4747538
							B	24°48'13.75"N 84°51'39.09"E	
			Mahadevpur				C	24°47'13.89"N 84°51'24.79"E	
							D	24°47'15.76"N 84°51'9.00"E	
10	Morhar	23	Ubhay	Pariya		99	A	24°47'15.76"N 84°51'9.00"E	Rs 7496113
			Raman				B	24°47'13.89"N 84°51'24.79"E	
			laxambigha				C	24°45'34.48"N 84°51'14.82"E	
							D	24°45'37.39"N 84°51'8.18"E	

1	2	3	4	5	6	7	8		9
11	Morhar	25	Mirzachak	Pariya		99	A	24°44'45.40"N 84°50'28.94"E	Rs 7496113
							B	24°44'39.67"N 84°50'42.54"E	
			Kondih shikanra				C	24°43'24.67"N 84°50'13.41"E	
							D	24°43'29.56"N 84°50'4.78"E	
	Baraj Dam 915 M								
12	Morhar	26	Bali	Pariya		42.8	A	24°42'59.05"N 84°49'46.78"E	Rs 3240743
							B	24°42'54.08"N 84°49'57.32"E	
			bagahi		66/ 01		C	24°42'17.50"N 84°49'52.71"E	
							D	24°42'20.37"N 84°49'38.76"E	
13	Morhar	27	Ushawa	Gurua	639/ 74,314	99.1	A	24°42'20.37"N 84°49'38.76"E	Rs 7503685
							B	24°42'17.50"N 84°49'52.71"E	
			Kotha				C	24°41'11.07"N 84°48'59.18"E	
							D	24°41'21.02"N 84°48'47.57"E	
14	Morhar	28	Sherpur	Gurua		99	A	24°41'21.02"N 84°48'47.57"E	Rs 7496113
							B	24°41'11.07"N 84°48'59.18"E	
			Amirganj		................/ 685		C	24°40'14.19"N 84°49'1.83"E	
							D	24°40'8.74"N 84°48'52.25"E	

Amirganj Bridge 563 M									
1	2	3	4	5	6	7	8		9
15	Morhar	29	Beloti	Gurua		51.0	A	24°39'49.96"N 84°48'45.75"E	Rs 3861634
							B	24°39'48.85"N 84°49'7.05"E	
							C	24°39'16.86"N 84°49'1.88"E	
			Fulwriya				D	24°39'19.20"N 84°48'44.19"E	
16	Morhar	30	IALGHADH	Gurua		99.0	A	24°39'19.20"N 84°48'44.19"E	Rs 7496113
			Rajan		706/01		B	24°39'16.86"N 84°49'1.88"E	
			Ithri				C	24°38'2.53"N 84°49'18.49"E	
							D	24°38'10.21"N 84°49'6.73"E	
							E	24°39'4.97"N 84°48'37.79"E	
17	Morhar	33	Manjhauli	Raushanganj		99.0	A	24°31'56.64"N 84°44'19.40"E	Rs 7496113
							B	24°31'47.91"N 84°44'26.48"E	
							C	24°30'45.15"N 84°42'37.70"E	
							D	24°30'50.62"N 84°42'34.53"E	
Sarsa Braj 326 M									
18	Morhar	34	Saifganj	Banakeybazar		47.4	A	24°30'39.93"N 84°41'59.65"E	Rs 3589048
							B	24°30'33.55"N 84°42'2.39"E	
							C	24°30'17.05"N 84°40'59.83"E	
							D	24°30'27.98"N 84°40'57.75"E	

Saifganj Bridge 123 M

1	2	3	4	5	6	7	8		9
19	Morhar	35	Nawadih Parsawan Kurd Barbadih	Raushanganj	148/01	41.9	A	24°30'23.88"N 84°40'35.01"E	Rs 3172597
							B	24°30'13.04"N 84°40'39.68"E	
							C	24°29'56.71"N 84°39'47.21"E	
							D	24°30'5.28"N 84°39'46.30"E	

Nawadih irriagion Bridge 54 M

1	2	3	4	5	6	7	8		9
20	Morhar	36	Panchtarh Parasadih	Imamganj		19.4	A	24°30'9.08"N 84°39'25.80"E	Rs 1468935
							B	24°29'59.16"N 84°39'22.33"E	
							C	24°30'7.00"N 84°39'3.43"E	
							D	24°30'16.12"N 84°39'9.18"E	
21	Morhar	37	Pananiya	Imamganj		99.0	A	24°30'16.12"N 84°39'9.18"E	Rs 7496113
							B	24°30'7.00"N 84°39'3.43"E	
							C	24°29'37.14"N 84°37'31.30"E	
							D	24°29'48.31"N 84°37'22.87"E	
22	Morhar	38	chuabar	Imamganj		99.0	A	24°29'48.31"N 84°37'22.87"E	Rs 7496113
							B	24°29'37.14"N 84°37'31.30"E	
							C	24°28'30.33"N 84°36'19.30"E	
							D	24°28'33.26"N 84°36'12.65"E	

1	2	3	4	5	6	7	8		9
23	Morhar	39	Kusheshwar Raniganj	Imamganj	326/01	99.0	A	24°28'33.26"N 84°36'12.65"E	Rs 7496113
							B	24°28'30.33"N 84°36'19.30"E	
							C	24°26'42.53"N 84°35'38.42"E	
							D	24°26'55.34"N 84°35'33.75"E	
Imamganj Bridge 240 M									
24	Morhar	40	Rongha Bashura	Imamganj	319/ 180, 191	80.6	A	24°26'47.86"N 84°35'13.34"E	Rs 6102896
							B	24°26'41.70"N 84°35'15.64"E	
							C	24°25'12.17"N 84°35'4.53"E	
							D	24°25'11.74"N 84°34'54.74"E	

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला–गया।

बिहार सरकार

गया जिला के बालघाटों की बंदोबस्ती हेतु नीलामी के कागजात ई–प्रोक्योरमेंट मोड

https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

District Mining Office, Gaya

Notice Inviting E-Auction

(Through E- Procurement mode over https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

1. ई–नीलामी कार्यक्रमः–

क्रम संख्या	गतिविधि	तिथि/समयः अवधि
1	ई–नीलामी से पूर्व बैठक/प्रशिक्षण	पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 10.10.19 से14.10.19 तक सम्पन्न किया गया।
2	नीलामी दस्तावेज बिक्री शुल्क जमाकर निविदा दस्तावेज डाउलोड प्रारंभ करने की तिथि	**https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)** नीलामी दस्तावेज बिक्री शुल्क – सिर्फ ऑनलाईन मोड/क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैकिंग, NEFT/आर0टी0जी0एस0 प्रारंभ तिथि 10.01.20 समय 11:00 बजे पूर्वाह्न से
3	अग्रधन राशि एवं ऑक्सन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	1 नीलामी अग्रधन राशि (सुरक्षित जमा राशि के 10 प्रतिशत)–ऑनलाईन मोड/क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैकिंग, NEFT/आर0टी0जी0एस0 एवं डिमांड ड्राफ्ट **https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)** 2. ऑक्सन प्रोसेसिंग फीस – सिर्फ ऑनलाईन मोड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी/आर0टी0जी0एस0 3. अंतिम तिथि 17.01.20 को अपराह्न 5:00 बजे तक
4	नीलामी हेतु अग्रधन राशि ऑफलाईन मोड की स्थिति (बैंक ड्राफ्ट में) उसकी मूल कागजात संबंधित जिला खनन कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	अंतिम तिथि 17.01.20 समय अपराह्न 5:00 बजे तक
5	तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की सूची System में संबंधित समाहर्त्ता द्वारा Upload करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 27.01.20
6	ई–नीलामी की तिथि एवं समय क्रमांक 01 से 24 तक	दिनांक 29.01.20 समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से **https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)**
7	ई–नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय क्रमांक 01 से 24 तक	दिनांक 29.01.20 सयम 1:00 बजे अपराह्न तक **https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)**

2- नीलामी विवरणीः– संलग्न

S. No	Auction descriptions of work	Auction sub item	Reserve Price	Auction form fee	Auction EMD	Auction Procession fee	Minimum Increment Value(In INR)	Maximum Increment Value(In INR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Settlement of sand ghats	Sand	See in Balughat List	5000/-	10 % of Reserve Price	See in under Mention	See in under Mention	See in under Mention

- Minimum एवं Maximum Incremental Value निम्नवत् निर्धारित की जा सकती हैः–

Sr. No.	Reserve Price	Minimum increment	Maximum increment
1	Upto 1 Crore	2 Lakh	10 Lakh
2	>1 Crore<5 Crore	5 Lakh	25 Lakh
3	> 5 Crore	10 Lakh	50 Lakh

- संबंधित बालूघाट के लिए Beltron द्वारा निर्धारित Auction Processing fee की विवरणी निम्नवत है :–

Sr. No.	Reserve Price	Auction Processing fee
1	Upto 1 Crore	1180/-
2	More than 1 Crore to 5 Crore	5900/-
3	More than 5 Crore	17700/-

(ट) Chartered Accountant द्वारा सत्यापित् वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के Annual accounts (Profit and loss सहित) की प्रति (व्यक्ति विशेष के मामले में जिनका टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्ष 2 करोड़ या उससे कम हो एवं शुद्ध मुनाफा की गणना 8% या उससे अधिक की गई हो के मामले में Chartered Accountant से Books of Account (Profit&Loss सहित) को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी)।

(ठ) वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर रिटर्न।

(ड) मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/ उप नियम। (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में)

(ढ) साझेदारी के मामले मे साझेदारी दस्तावेज का स्व अभिप्रमाणित प्रति।

(त) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो।

5. सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् बोली आमंत्रण प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले बोलीदाताओं को ही ई–नीलामी की प्रक्रिया मे भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।

6. आक्शन मोड के चयन के उपरांत आपको संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरान्त नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडो में दर्शित होगी।

7. प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर विंडो पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।

8. आवश्यकता पड़ने पर ऑन–लाईन ई–ऑक्शन प्रकिया प्रारंभ होने के पश्चात, किन्तु ई–ऑक्शन की अंतिम तिथि/समय के पूर्व भी शुद्विकरण के माध्यम से समय वृद्धि की जा सकती है, जो मात्र ऑन–लाईन प्रदर्शित होगी https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON

9. किसी विशिष्ट सम्पदा के ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति समय से 5 मिनट पहले यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को अगले 5 मिनट तक के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। विस्तारित अवधि में उच्चतम बोली से अधिक बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे विस्तारित अवधि के समाप्ति के पश्चात् बोली की प्रक्रिया बन्द कर दी जायेगी।

10. सफलतम बोलीकर्ता को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–मेल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी।

11. बोली लगाते समय सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणो के सुचारू रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलो में संबंधित जिला खनन कार्यालय का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

12. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी से संबंधित सभी निर्देशों, नियम एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।

13. नीलामी की तिथि एवं समय उपरोक्त तालिका के ई–नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित है। सभी इच्छुक बोलीदाताओ से अनुरोध है कि ई–नीलामी से संबंधित अपने सभी आई0टी0 संसाधनो एवं उपकरणों की समुचित जाँच कर निर्धारित नीलामी कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।

14. ई–नीलामी संबंधित विवरणी एवं नियम–शर्त्तो की जानकारी e-Procurement Portal https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON and http://mines.bih.nic.in/ पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।

15. Auction processing fees and Auction Tender Document fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी हेतु पंजीकरण कराने एवं ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्त्तो को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि बोलीदाताओं द्वारा नियम एवं शर्त्तो को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्त्ते उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अस्वीकारात्मक होगी।

17. ई–नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओ द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया जाता है तो उस नीलामी प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जा सकता है।

18. **ई0 नीलामी कि प्रक्रिया–** माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के O.A. संख्या–67/19 एवं अन्य समरूप मामलों में दिनांक– 27.11.2019 को पारित होने वाले आदेश से आच्छादित रहेगा।

19. **इस संबंध में अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :–**

क्रम संख्या	विषय	सम्पर्क स्थान एवं दूरभाष संख्या
1.	ई–नीलामी कार्यक्रम	**मो0 नं0–8507280997/ जिला खनन कार्यालय, गया।**
2.	पंजीयन की प्रक्रिया	ई–टेंडरिंग/ई–प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं0–एम/22, रोड नं0–25, श्रीकृष्णानगर, पटना–800001 दूरभाष संख्याः **0612–2523006, 7542028164**
3.	तकनीकी सहायता	ई–टेंडरिंग/ई–प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, पथम तल, प्लॉट नं0–एम/22, रोड नं0–25, श्रीकृष्णानगर, पटना–800001 दूरभाष संख्याः **0612–2523006, 7542028164**

....
....

****

जिला खनन कार्यालय

गया

निविदा दस्तावेज

बंदोबस्ती की अवधि– दिनांक–01.01.2020 से 5 वर्षों के लिए

बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए शर्त्त एवं बंधेज।

जिला में अवस्थित प्रत्येक नदी को अलग–अलग इकाई माना जाएगा एवं प्रमुख नदी इकाईयों (major river reaches) यथा सोन, किउल, फल्गु, मोरहर एवं चानन को जहां कही संभव हो सके विखंडित कर सतत् संहृत खंडों में नदी के स्थालाकृति को ध्यान में रखते हुए बॉटकर बंदोबस्ती की जाएगी।

1. **ऑफर (Offer) देने की तिथि एवं समय :–**

दिनांक– 17.01.20 के 05:00 बजे अपराह्न तक में इच्छुक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था से बालूघाटों की उपर्युक्त अवधि के लिए बंदोबस्ती हेतु ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा दस्तावेज में निम्नांकित विवरण है:–

(क) निविदा के शर्त्त एवं बंधेज (अनुलग्नक 1)

(ख) बालूघाटों की विवरणी (अनुलग्नक 2)

(ग) तकनीकि निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक 3)

2. **तकनीकि निविदा के लिए निम्नांकित कागजात दिया जाना होगा :–**

i. निविदा के शर्त्तों एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

ii. निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

iii. निविदा देने वाले बालूघाट की कुल सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत अग्रधन की राशि (निविदादाता के बैंक खाता के माध्यम से बनाया गया बैंक ड्राफ्ट/जो संबंधित जिला खनन पदाधिकारी के नाम देय होगा) Online साक्ष्य के रूप में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

iv. पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित फोटोप्रति।

v. यदि निविदादाता पूर्व में कोई बन्दोबस्ती/पट्टा/अनुज्ञप्ति लिये हों तो संबंधित जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण–पत्र/यदि नही लिये हो तो इस आशय का घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।

vi. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र/पूर्व से निबंधित नही रहने पर एक माह के अन्दर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा पत्र / शपथ पत्र।

vii. आवेदक (निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था के प्रमोटर तथा सोल प्रोपराईटर्स एवं व्यक्तियों) को डी0एम0/एस0पी0/एस0डी0एम0 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा। उक्त चरित्र प्रमाण में यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि आवेदक के विरूद्ध कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है।

viii. फर्म/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।

ix. समिति के मामले मे अंकेक्षण रिपोर्ट।

x. Chartered Accountant द्वारा सत्यापित् वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के Annual accounts (Profit and loss सहित) की प्रति (व्यक्ति विशेष के मामले में जिनका टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्ष 2 करोड़ या उससे कम हो एवं शुद्ध मुनाफा की गणना 8% या उससे अधिक की गई हो के मामले में Chartered Accountant से Books of Account (Profit&Loss सहित) को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी)

xi. वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर रिटर्न स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

xii. दो स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो।

xiii. समिति के मामले में उप नियम (Bye-lass) और कम्पनी के मामले में मेमोरेण्डम की प्रति। साझेदारी के मामले में साझेदारी के दस्तावेज की प्रति।

3. **बालूघाटों की बन्दोबस्ती हेतु नीलामी के शर्त्त एवं बंधेज :–**

बालूघाटों की बन्दोबस्ती के लिये नीलामी के शर्त्त एवं बंधेज, बालूघाटों की विवरणी, निविदा–सह–नीलामी की प्रक्रिया, पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत विवरणी–ई0प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON निम्नवत् है:–

(i) प्रत्येक खण्ड/बालू खण्ड/बालूघाट के लिये अलग–अलग निविदा कागजात का क्रय करना होगा एवं निविदा देनी होगी ।

(ii) एक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी को अधिकतम दो बालू खण्डों अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो, के लिए बंदोबस्ती दी जाएगी। उक्त सीमा मात्र बिहार बालू खनन नीति 2019 की कंडिका 5(i) में उल्लेखित नदियों की बंदोबस्ती पर लागू होगी।

(iii) बन्दोबस्ती ई–निविदा–सह–नीलामी प्रक्रिया द्वारा की जायेगी।

(iv) निविदा में भाग लेने के लिये निविदादाता का विगत् तीन वर्षो का औसत Annual Turnover उस बालूघाट के सुरक्षित जमा राशि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

4. **पात्रता और बीड कैपीसिटी:–** निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरशीप, व्यक्तियों और दो ऐसी संस्थाओं के भागीदार निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पात्र होगें :–

(i) भारत का नागरिक होना।

(ii) पैन कार्ड धारी होना।

(iii) रॉयल्टी/जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र का होना।

- संबंधित जिला से जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं रहने पर एक माह के अंदर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) के दौरान बीडर का औसत वार्षिक टर्नओभर उसके द्वारा बीड किये गये खंडों/बालू खंड/बालूघाट के सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत् से कम नही होना चाहिए। भागीदारी की दशा में, सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

(v) आवेदक (निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था के प्रमोटर तथा सोल प्रोपराईटर्स एवं व्यक्तियों) को डी0एम0/एस0पी0/एस0डी0एम0 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा। उक्त चरित्र प्रमाण में यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि आवेदक के विरूद्व कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है।

5. निविदा देने की प्रकिया :–

केवल ऑन लाईन पद्धति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON

6. निविदा के कागजात/राशि

(i) निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि (Earnest Money) अग्रधन के रूप में online / offline की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा। बैंक ड्राफ्ट निविदादाता के खाता के माध्यम से ही निर्गत होना चाहिये। निविदादाता को वर्तमान 3 माह का खाता धारक के बैंक खाता विवरणी की प्रति के साथ बैंक द्वारा निर्गत इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

(ii) निविदादाता के नाम से आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड एवं गत तीन वित्तीय वर्ष–2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित फोटो प्रति देनी होगी। सफल निविदादाता को डाक के पश्चात् दो दिनों के अन्दर मूल प्रति लाकर सत्यापन कराना होगा।

(iii) संबंधित जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र–पूर्व में अगर निविदादाता द्वारा वृहत खनिज का पट्टा अथवा लघु खनिज की बन्दोबस्ती/अनुज्ञप्ति ली गयी हो अथवा स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति लिया गया हो तो संबंधित जिले के खनन पदाधिकारी से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेकर जमा करना होगा। यदि निविदादाता पूर्व में कोई बन्दोबस्ती/पट्टा/अनुज्ञप्ति नहीं लिये हों तो इस आशय का घोषणा–पत्र संलग्न करना होगा ।

(iv) निविदादाता को GST निबंधन प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। यदि वे जी0एस0टी0 से निबंधित नहीं हों तो निविदादाता इस आशय का घोषणा–पत्र देंगे कि बंदोबस्ती मिलने के एक माह के अन्दर निबंधन करा लेंगे ।

(v) जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र। आचरण प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिये कि उनके विरूद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नौतिक चरित्र है।

(vi) निविदादाता को Chartered Accountant द्वारा सत्यापित विगत वर्ष–2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के Annual Accounts (Profit & Loss Account सहित) संलग्न करना होगा (व्यक्ति विशेष के मामले में जिनका टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्ष 2 करोड़ या उससे कम

हो एवं शुद्ध मुनाफा की गणना 8% या उससे अधिक की गई हो के मामले में Chartered Accountant से Books of Account (Profit&Loss सहित) को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी)

(vii) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज के फोटो ।

(viii) समिति के मामले में उप नियम (Bye-laws) और कम्पनी के मामलों में मेमोरैन्डम की प्रति दाखिल करनी होगी। साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी के दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।

(ix) निविदादाता को विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ निविदा के सभी कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।

7- **बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रियाः—**

(क) कोई व्यक्ति/निबंधित कंपनी/पार्टनरशीप/सोसाईटी/सहकारी संस्था सहित को अधिकतम दो बालू खण्डों अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो, के लिए बंदोबस्ती की जाएगी। यह शर्त्त मात्र बिहार बालू खनन नीति 2019 की कंडिका 5(i) में उल्लेखित नदियों की बंदोबस्ती पर लागू होगी।

(ख) (i) बालूघाटों की बंदोबस्ती उच्चतम बीडर के पक्ष में ई0— निविदा—सह—नीलामी (e-tendering-cum-auction) के माध्यम से उन निविदादाताओं के बीच से की जाएगी जिनकी तकनीकी बीड निविदा दस्तावेजों में वर्णित पात्रताओं की शर्त्तों के अनुसार, तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई जाएगी।

(ii) बीडर द्वारा उच्चतम कोटेड वार्षिक समनुदान मूल्य कही जाने वाली कीमत पर समनुदान दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, 20 प्रतिशत् अग्रिम भुगतेय राशि की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

(iii) नीलामी के तुरंत बाद, उच्चतम बीडर से नीलामी राशि के 10 प्रतिशत् का भुगतान, प्रतिभूति जमा, (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) के रूप में करने की अपेक्षा की जाएगी और सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत्यादेश उच्चतम बीडर के पक्ष में निर्गत किया जाएगा और उसके बाद उच्चतम बीडर निविदा पत्र में वर्णित अपेक्षित दस्तावेजों यथा—अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनापत्ति नियत कालावधि के भीतर जमा करेगें।

(iv) अग्रधन/प्रतिभूति जमा और नीलामी की किश्तों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, जो—

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन राशि अंतरण अपने स्वयं के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ख) भागीदारी फर्म की दशा, बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित फर्म अथवा उसके भागीदारों के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ग) कंपनी की दशा में, बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित कंपनी या उसके प्रबंध निदेशक या उसके संबंधित निदेशकों के खाते से तैयार किया जाएगा।

(v) आवेदक/ बंदोबस्तधारी वर्त्तमान तीन माह का खाताधारक के बैंक खाता विवरणी की प्रति के साथ बैंक द्वारा निर्गत इस प्रभाव का एक प्रमाण–पत्र जमा करेगा।

(vi) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करने और अपेक्षित रकम के भुगतान के बाद कार्य–आदेश उच्चतम बीडर के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।

(vii) बंदोबस्तधारी बंदोबस्ती अवधि के दौरान नियमों/निविदा दस्तावेज के अधीन किये गये प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण खनन एवं अन्य करों का भुगतान करेगा।

8. **सफल निविदादाता का चयन**

(i) जो व्यक्ति /समिति/फर्म/कम्पनी तकनीकी निविदा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं को ई–नीलामी में भाग लेने का मौका दिया जायेगा। ई नीलामी में जो उच्चतम डाकवक्ता होंगे वही सफल निविदादाता माने जायेंगे ।

(ii) उच्चतम निविदादाता/डाकवक्ता द्वारा बन्दोबस्ती लेने से इन्कार करने पर या निर्धारित अवधि में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर उनका अग्रधन (earnest money) जब्त कर लिया जायेगा।

(iii) सुरक्षित जमा राशि से कम बोली नीलामी में मान्य नहीं होगा।

(iv) एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जायेगी। दूसरी बार भी यदि और कोई निविदादाता नहीं आते हैं, तो एकल निविदा को सुरक्षित जमा के उपर बोली की स्थिति में समाहर्त्ता के अनुशंसा के साथ विभाग को भेजा जायेगा एवं विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने पर एकल निविदादाता के पक्ष में बालूघाटो का नियमानुसार बंदोबस्ती की जा सकेगी।

9. **बालूघाटों की बंदोबस्ती की अवधि –**

बालूघाटों की बंदोबस्ती 01.01.2020 से 5 वर्षो के लिए मान्य होगी।

10. **चयन के बाद की औपचारिकताएँ :–**

(i) बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका–5(i) में उल्लेखित नदियों के बालूघाटों की नीलामी में सफल डाकवक्ता को सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि (नीलामी की राशि का 10 प्रतिशत्) का भुगतान (अग्रधन की राशि को समायोजित करते हुए) नीलामी की तिथि से 24 घंटे के अन्दर करना होगा। इसके पश्चात् ही सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अन्य नदियों के बालू खण्डों की नीलामी में सफल डाकवक्ता को बालू खण्ड क्षेत्रों में चयनित बालूघाट के निर्धारित क्षेत्र का तैयार किये जाने वाले खनन योजना केलिए अलग से सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत किया जाएगा।

(ii) **खनन योजनाः–** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विभाग तैयार कर अनुमोदित करेगा। विभाग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से खनन योजना तैयार कराई जायेगी तथा उस पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित बंदोबस्तधारी से की जायेगी।

(iii) बन्दोबस्ती लेने के बाद सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्त्ता को उपलब्ध कराना होगा।

(iv) प्रथम डाकवक्ता द्वारा किसी कारणवश बंदोबस्ती लेने में असफल रहने पर उनके द्वारा जमा अग्रधन एवं सम्पूर्ण राशि जप्त करते हुये पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

11. **GST का भुगतान** :–

बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। खनन् कार्यालय में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा। साथ ही सफल डाकवक्ता

को वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2403, दिनांक–16.08.2019 के अनुपालन में ***आपूर्ति की गई करदेय*** मद में विधिमान्य कर का भुगतान किस्त की राशि के साथ करना होगा।

12. **आयकर/अन्य करों का भुगतानः–**

बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन् कार्यालय द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

13. **जिला खनिज फाउन्डेशन**

सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन को जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार करना होगा।

14. **न्यूनतम सुरक्षित जमा का निर्धारण।–** सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि तीन बार प्रयासों के बाद भी उक्त निर्धरित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य पर नीलामी की प्रक्रिया के दौरान कोई बीडर नहीं मिलता है तो न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि विभागीय तकनीकी समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र और अन्य स्थानीय/तकनीकी दशाओं में निक्षेपित बालू के आधार पर तथा समाहर्त्ता की अध्यक्षतावाली जिलास्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त कर पुनरीक्षित किया जा सकेगी। उक्त खण्ड/बालू खंड/बालूघाट की पुनः नीलामी, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पुनरीक्षित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि के आधार पर की जाएगी।

15. **भुगतान की शर्तेः–**

(i) आवेदक अपनी निविदा दस्तावेज के साथ अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत् जमा करेगा।

(ii) बीड–राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष ओर उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत् वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत् के बराबर होगी।

(iii) प्रतिभूति जमा के अलावे बंदोबस्तधरी निम्नलिखित सूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :–

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) कार्य आदेश निर्गत होने के पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) 15 दिसम्बर (दूसरे वर्ष और उसके बाद)
द्वितीय किस्त (25%)	15वीं मार्च
तृतीय किस्त (25%)	15वीं जून

यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधरी असफल होता है तो आगे ई–चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद खोला जाएगा।

(iv) बंदोबस्तधारी जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी संबंधित विभाग की अद्यतन अधिसूचना के अनुसार करेगा। बंदोबस्तधारी डी0एम0एफ0 को बिहार डी0एम0एफ0 नियमावली, 2018 के अनुसार भुगतान करेगा।

(v) विभाग के निदेश पर अतिरिक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

16. **प्रतिभूति जमा और खनन कार्य आरंभ करनाः**— भुगतान किये जानेवाला प्रतिभूति जमा वार्षिक समानुदान मूल्य का 10 प्रतिशत् होगी। प्रतिभूति राशि अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी बशर्ते कि कोई अन्य बकाया वसूल नहीं किया जाना हो।

17. **बंदोबस्ती विलेख (डीड) निष्पादन करनाः**— सफल बीडर को 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान अवार्ड दिया जाएगा। सफल बीडर विहित प्रपत्र में बंदोबस्ती विलेख संबंधित नियम अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र में कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि वैद्यानिक कार्य प्रारंभ करने /संविदा निष्पादित की तिथि से पॉच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

18. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन एक माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

19. **बालू का विक्रय मूल्यः—**

अंतिम उपयोगकर्त्ता अथवा आम जन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

20. **बालू खनन की अनुमतिः**— समानुदान ग्राही को सभी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।

21. **बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रः**— बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होगें।

22. **बालू खनन की अधिकतम गहराईः**— नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से 3 मीटर से अधिक नही होगी। उत्खनन के दौरान निर्मित सभी ऐसे गड्ढे नियमित आधर पर भर दिये जाएँगे।

23. **पर्यावरणीय अनापत्तियों की मंजूरी के लिए समय—सीमाः**— राज्य खनन विभाग समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियॉ बालूघाटों हेतु प्राप्त करेगा। वैधानिक पर्यावरणीय तथा अन्य स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु, जिला खनन पदाधिकारी तथा निदेशक, खान कार्रवाई करेगें।

24. **समनुदान का प्रत्यार्पण**— बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोडने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ—साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी।

25. **ऑन लाईन बालू पोर्टल**— बंदोबस्तधारी सभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय या तो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड के माध्यम से करेगा। सभी संव्यवहार/भुगतान, उत्खनन/ उत्पादन/परिवहन भंडारण का ब्योरा विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग सिस्टम द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। बालू का विक्रय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण, जो केन्द्रीय दस्तावेजीकरण अनुश्रवण सुविधा से जुड़ा रहेगा, से नियंत्रित किया जाएगा और बंदोबस्तधारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा।

26. बालू ढोने वाले सभी वाहन बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई—चालान साथ रखेगें।

27. **डिसिल्टिंग का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकारः**— नदी का प्रवाह, बॉधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीक एवं जल वैज्ञानिक विचारण के चलते नदियों का परिवेश बनाए रखने के लिए डिसिल्टेशन का अधिकार सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। विभाग डिसिल्टिंग प्रक्रिया में निकाले गए बालू के निपटारे के लिए मार्गदर्शन निर्गत करेगी।

28. **बालू–परिवहन विनियमित करने की शक्तिः–** अधिसूचना के माध्यम से विभाग, राज्य से अन्य राज्यों में बालू के निर्यात को नियंत्रित कर सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि विभाग का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बालू का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा।

29. **भराई का अध्ययनः–** मॉनसून के पहले और बाद नदी तल में बालू की मात्रा की भराई अभिनिश्चित करने के लिए अध्ययन बंदोबस्तधारी द्वारा अद्यतन उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियो के माध्यम से करवाया जाना है और इसका एक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना है। विभाग द्वारा अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन का खर्च संबंधित बंदोबस्तधारी से वसूल किया जाएगा।

30. **जल संसाधन विभाग से अनापत्तिः–** किसी बालू घाट से बालू उठाने की दशा में यदि कोई प्राकृतिक जलमार्ग/सिंचाई नहर लिंक रोड और बालूघाट के बीच पड़ती हो तो बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचना खड़ा कर सकेगा।

31. **बिहार राज्य खनन निगम द्वारा क्रियाकलापः–** राज्य सरकार सभी अथवा किसी खनन क्रिया–कलाप अथवा व्यापार को बिहार राज्य खनन निगम को सौंप सकेगी। निगम, विशेष रूप से खनन क्रिया–कलाप के बालू के थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, भंडारण एवं परिवहन आदि का जिम्मा ले सकेगा। निगम किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी अथवा प्राईवेट अन्डरटेकिंग के साथ कोई करार उक्त प्रयोजनार्थ कर सकेगा।

32. **निगम द्वारा विहित दरों पर खनिजों का क्रय किया जानाः–** विभाग द्वारा सभी खनिज समानुदान धारकों को अपने उत्पाद का कुछ अनुपात जो उनके उत्पाद का 50 प्रतिशत् से अनाधिक होगा, निगम को पिड हेड मूल्य पर विक्रय करने का निदेश दे सकेगा।

33. **शास्तिः–** नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा।

34. **<u>सामान्य शर्त्ते</u> :–**

(i) बन्दोबस्तीधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑन लाईन ई0चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा।

(ii) बंदोबस्तधारी नदी तट से 300 मी0 तक बालू का भंडारण कर सकते है जिसके लिए किसी प्रकार के भंडारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नही होगी। नदी तट से 300 मी0 के बाद बालू भंडारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अलग से भंडारण अनुज्ञप्ति लेना होगा।

(iii) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी। बंदोबस्तधारी विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) समर्पित करेगा।

(iv) बंदोबस्तधारी नदी तल से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा।